न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00173RAAJodhpur2020-83RTA223 Sudha B. Dambhani Vs Rakesh Dhariwal etc
2020-00174RAAJodhpur2020-82RTA223 Sudha B. Dmbhani Vs Rakesh Dhariwal etc

01. सुधा बी. दम्भाणी पत्नी श्री वृजरतन दम्भाणी, जाति माहेश्वरी, निवासी– ए–73/, बोरीवली वेस्ट मुम्बई।
02. निभा दम्भाणी पत्नी श्री दीपक दम्भाणी, जाति माहेश्वरी, नवासी– ए–73, बोरीवली, वेस्ट मुम्बई।
03. निशा चाण्डक पत्नी श्री कमलकिशोर, जाति माहेश्वरी, निवासी– कमल कुंज शिव रोड़, रातानाडा, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. राकेश धारीवाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति ओसवाल, निवासी– 43–बी, नेहरू पार्क, जोधपुर।
02. समद कंवर पत्नी श्री अजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।(**नाम तर्क**)
03. हरनाथसिंह पुत्र अजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।
04. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।
05. हवाकंवर पत्नी श्री जेठूसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।
06. मालाराम पुत्र श्री मांगीलाल, जाति विश्नोई, निवासी– विनायकपुरा भवाद, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
07. रास्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2020 सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 राकेश धारीवाल बनाम सुधा बी दम्भाणी इत्यादि

---

(02)2020-00174RAAJodhpur2020-82RTA223 Sudha B. Dmbhani Vs Rakesh Dhariwal etc

01. सुधा बी. दम्भाणी पत्नी श्री वृजरतन दम्भाणी, जाति माहेश्वरी, निवासी– ए–73/, बोरीवली वेस्ट मुम्बई।
02. निभा दम्भाणी पत्नी श्री दीपक दम्भाणी, जाति माहेश्वरी, नवासी– ए–73, बोरीवली, वेस्ट मुम्बई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

03. निशा चाण्डक पत्नी श्री कमलकिशोर, जाति माहेश्वरी, निवासी– कमल कुंज शिव रोड़, रातानाडा, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. राकेश धारीवाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति ओसवाल, निवासी– 43–बी, नेहरू पार्क, जोधपुर।
02. समद कंवर पत्नी श्री अजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।(**नाम तर्क**)
03. हरनाथसिंह पुत्र अजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।
04. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।
05. हवाकंवर पत्नी श्री जेठूसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।
06. मालाराम पुत्र श्री मांगीलाल, जाति विश्नोई, निवासी– विनायकपुरा भवाद, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
07. रास्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 मई 2020 सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 राकेश धारीवाल बनाम सुधा बी दम्भाणी इत्यादि

उपस्थित–
श्री स्वर्ण सिंह चम्पावत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री प्रेम कुमार विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

नि र्ण य

दिनांक : 28 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 अनवान राकेश धारीवाल बनाम सुधा बी दम्भाणी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 मई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2020 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है। अपीलांट ने अपील संख्या 83/2020 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 57/2 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 59 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 59/1 रकबा 15 बीघा, खसरा नं. 57 रकबा 61 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 57/1 रकबा 25 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 57/3 रकबा 05 बीघा ग्राम भवाद तहसील बावड़ी के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2020 पारित कर तहसीलदार बावड़ी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 83/2020 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बावड़ी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 मई 2020 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील संख्या 82/2020 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने एवं रेकर्ड पर आये दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित की गई है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि प्राथमिक डिक्री यदि किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में जारी की गई है तो कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण से पूर्व तथा अंतिम डिक्री पर आपत्तियॉ आमंत्रित करने से पूर्व अनुपस्थित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु न्यायालय पुनः नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जारी करे, किंतु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलार्थीगण द्वारा आपत्तियॉ पेश की जाती, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट कब्जे अनुसार नहीं बनाई गई है और मनमर्जी से तैयार करवाकर बाले–बाले अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है और उक्त वाद डिक्री किया गया है। अपीलार्थीगण खसरा नं. 59/1, 46/4, 46/5 में सें 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सहखातेदार है तथा अपीलार्थीगण के बंट व हिस्से में आई हई भूमि का कब्जा भूमि खरीद करते समय ही तत्कालीन खातेगदारों द्वारा सुपुर्द कर दिया गया था। रेस्पोडेंट संख्या एक के द्वारा अपीलार्थीगण से व अन्य खातेदारों से उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाने हेतु कभी भी बात नहीं की, यदि की जाती तो अपीलार्थीगण विधिवत रूप से बंटवाड़ा करवा लेते, किंतु रेस्पोडेंट संख्या एक की नियत में पूर्व सही साफ नहीं थी, इस कारण रेस्पोडेंट संख्या एक ने बाले–बाले बंटवाड़ा करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर बंटवाड़ा आदेश प्राप्त कर लिया है। वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि गया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद की पत्रावली गुम हो गयी थी, जिससे यह यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थीगण पर सम्मन की कब तामील हुई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीले स्वीकार योग्य है।

अपील संख्या 83/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एकपक्षीय पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलार्थीगण को हाल ही में तब हुई, जब हल्का पटवारी के समक्ष इस आशय की सूचना पहुची कि अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामगी की जावे, तब हल्का पटवारी के द्वारा अपीलार्थीगण को न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रदान की। तब अपीलांट्स द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त कर जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 83/2020 अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर दोनो अपीले गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 अनवान राकेश धारीवाल बनाम सुधा बी दम्भाणी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 मई 2020 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली गुम हो जाने पर पुनःगठित पत्रावली में भी अपीलांट्स को पुनः सम्मन जारी किये गये, फिर भी वे उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारान् के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है तथा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि को उनके हिस्से में ही रखा गया है तथा उनके नाम दर्ज रकबे में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा मामले में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया गया है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उनके हक– अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े जाने का प्रश्न उठाया गया है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को परेशान एवं हैरान करने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 57/2, 59, 59/1, 57, 57/1 एवं 57/3 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ हक–हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14 फरवरी 2020 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बावड़ी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर खसरा नं. मूल खसरा नं. 57 एवं 59 का विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नं. 59 में सभी पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सड़क पर आनुपातिक रूप से बराबर भूमि दिया जाना पाया जाता है तथा खसरा नं. 57 में भी पक्षकारान् के खसरा नं. 59 में प्राप्त भूमि के चिपते ही भूमि दिया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 अनवान राकेश धारीवाल बनाम सुधा बी दम्भाणी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 मई 2020 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00173RAAJodhpur2020-83RTA223 Sudha B. Dambhani Vs Rakesh Dhariwal etc
2020-00174RAAJodhpur2020-82RTA223 Sudha B. Dmbhani Vs Rakesh Dhariwal etc

अपीलाण्ट	ब ना म	रेस्पोडेण्ट
01. सुधा बी. दम्भाणी पत्नी श्री वृजरतन दम्भाणी, जाति माहेश्वरी, निवासी– ए–73/, बोरीवली वेस्ट मुम्बई। 02. निभा दम्भाणी पत्नी श्री दीपक दम्भाणी, जाति माहेश्वरी, नवासी– ए–73, बोरीवली, वेस्ट मुम्बई। 03. निशा चाण्डक पत्नी श्री कमलकिशोर, जाति माहेश्वरी, निवासी– कमल कुंज शिव रोड़, रातानाडा, जोधपुर।		01. राकेश धारीवाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति ओसवाल, निवासी– 43–बी, नेहरू पार्क, जोधपुर। 02. समद कंवर पत्नी श्री अजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर।(**नाम तर्क**) 03. हरनाथसिंह पुत्र अजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर। 04. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर। 05. हवाकंवर पत्नी श्री जेठूसिंह जाति राजपूत, निवासी– ग्राम भवाद,बावड़ी, जिला जोधपुर। 06. मालाराम पुत्र श्री मांगीलाल, जाति विश्नोई, निवासी– विनायकपुरा भवाद, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। 07. रास्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2020, निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 मई 2020 सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 राकेश धारीवाल बनाम सुधा बी दम्भाणी इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 28 नवंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री स्वर्ण सिंह चम्पावत मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री प्रेम कुमार विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि दोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 अनवान राकेश धारीवाल बनाम सुधा बी दम्भाणी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2020 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 मई 2020 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ——00——) रूपये ————00———— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——00———— अदा करें।
बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 28 नवंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर